राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(ड)(   )का.भा./डीएलबी/21/2447 दिनांक:07.06.2021

आदेश

श्रीमती डॉ0 सौम्या गुर्जर, महापौर नगर निगम ग्रेटर–जयपुर को विभागीय आदेश क्रमांक प.2 (क)(   )जांच/डीएलबी/2021/1413 दिनांक 06.06.2021 द्वारा महापौर एवं सदस्य के पद से निलम्बित किया गया है।

नगर निगम ग्रेटर–जयपुर में महापौर का पद अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए आरक्षित है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) के प्रावधानो के दृष्टिगत अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला को ही महापौर का कार्यभार दिया जाना विधि सम्मत है, चूंकि उप महापौर सामान्य श्रेणी से है।

अतः श्रीमती शील धाबाई अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), सदस्या वार्ड संख्या 60 नगर निगम ग्रेटर–जयपुर की वरिष्ठता, अनुभव व नगर निगम ग्रेटर–जयपुर में राजनैतिक दल के बहुमत को मद्धेनजर रखते हुए श्रीमती शील धाबाई अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), सदस्या वार्ड संख्या 60 नगर निगम ग्रेटर–जयपुर को महापौर के पद का कार्यभार सौपा जाता है। उक्त कार्यभार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 के प्रावधानो के अध्यधीन रहेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.8(ड)(   )का.भा./डीएलबी/21/ 2448–2459 दिनांक:07.06.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय राज. जयपुर।
6. जिला कलक्टर, जयपुर।
7. आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर–जयपुर।
8. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
9. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
10. श्रीमती शील धाबाई, सदस्या वार्ड संख्या 60 नगर निगम ग्रेटर–जयपुर।
11. श्रीमती डॉ0 सौम्या गुर्जर, निलम्बित महापौर, नगर निगम ग्रेटर–जयपुर।
12. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी